न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा **संख्या 165/2023**

1. **सरोज देवी पुत्री** सुखदेवाराम पत्नि अर्जुनलाल जाति जाट निवासी ग्राम भादवासी **तहसील व जिला सीकर** हाल निवासी पतिघर ग्राम घोराणा की ढाणी तन कुड़ली **तहसील व जिला सीकर**
2. **इन्दिरा पुत्री** सुखदेवाराम **जाति** जाट निवासी भादवासी तहसील व जिला सीकर

–वादियागण–

बनाम

1. **भंवरसिंह पुत्र** सुखदेवाराम
2. **परमेश्वरी देवी पत्नि** सुखदेवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भादवासी तहसील व जिला **सीकर**
3. उप **पंजीयक सीकर**
4. हल्का पटवारी **भादवासी**
5. तहसीलदार, **तहसील सीकर**
6. **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** कटराथल

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा एवं **स्थायी निषेधाज्ञा** अन्तर्गत धारा **88, 188 आर टी एक्ट**

उपस्थित **–वकील** वादियागण– श्री सुरेश कुमावत

वकील **प्रतिवादी संख्या 1 ता 2** – श्री हरफूल सिंह खिचड़

निर्णय

दिनांक : 18.09.2023

वकील वादीयागण ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार **से है कि वादियागण** एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के **कब्जे** काश्त की कृषि भूमि खं. नं0 **155 रकबा 3.30 है0 वाके ग्राम** भादवासी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। **जिसमें वादियागण का 1/4 हिस्सा** । उक्त भूमि पूर्व में सुखदेवाराम की खातेदारी में दर्ज **रही है।** सुखदेवाराम **का स्वर्गवास** हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने साजसी

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

तरीके से अपने आपको अकेला वारिस बताकर विरासत का नामा0 संख्या 121 अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया। वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दादी/सास धापु देवी पत्नि कुशलाराम का स्वर्गवास होने पर भी नामा0 संख्या 680 में भी वादियागण का नाम दर्ज नहीं करवाया गया। जिसके कारण वादियागण के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये दिनांक 26.5.2023 को जमाबंदी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी में वादियागण का नाम नहीं है। तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो कुछ दिनों में करवाने का आश्वासन देते रहे। परन्तु दिनांक 31.5.2023 को स्पष्ट इन्कार हो गये तथा गलत खातेदारी की आड़ में बेचान करने की धमी देने लग गये जिसके कारण वाद कारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। वादियागण को 1/2 हिस्से की भूमि में से जबरन बेदखल करने की कुचेष्टा प्रतिवादीगण कर रहे हैं। अतः वादियागण को विवादित आराजियात का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये वकील उपस्थित रहे तथा इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने राजीनामा भी प्रस्तुतं किया । प्रतिवादी सख्या 3 ता 6 बावजूद विधिवत तामिल के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने के कारण इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

वकील उभय पक्ष ने दावा राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार खसरा नम्बर 155 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 का 53/300 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 47/300 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2049–52 कि अनुसार खसरा नम्बर 155 की खातेदारी भगवानसिंह, लालाराम, सुखदेवा व गोरधन पिता कुशला, मु0 धापी बेवा कुशला जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है। नामा0 संख्या 121 के अनुसार सुखदेवाराम की विरासत का नामा0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज होना प्रमाणित है एवं विवादित आराजी पैतृक होना प्रमाणित है। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 वादियागण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने पर सहमत है। स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीयागण बरूऐ राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादियागण को विवादित आराजियात खसरा नम्बर 155 रकबा 3.30 है0 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी सीकर

भादवासी तहसील व जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 0.583 है0 में से 0.2585 है0 का व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हिस्सा 0.517 है0 में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.9.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०)

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 165/2023

1. सरोज देवी पुत्री सुखदेवाराम पत्नि अर्जुनलाल जाति जाट निवासी ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर हाल निवासी पतिघर ग्राम घोराणा की ढाणी तन कुड़ली तहसील व जिला सीकर
2. इन्दिरा पुत्री सुखदेवाराम जाति जाट निवासी भादवासी तहसील व जिला सीकर

–वादियागण–

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र सुखदेवाराम
2. परमेश्वरी देवी पत्नि सुखदेवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भादवासी तहसील व जिला सीकर
3. उप पंजीयक सीकर
4. हल्का पटवारी भादवासी
5. तहसीलदार, तहसील सीकर
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कटराथल

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट

उपस्थित –वकील वादियागण– श्री सुरेश कुमावत

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 – श्री हरफूल सिंह खिचड़

वाद वादीयागण बरूऐ राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादियागण को विवादित आराजियात खसरा नम्बर 155 रकबा 3.30 है0 वाके ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 0.583 है0 में से 0.2585 है0 का व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हिस्सा 0.517 है0 में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर जमाबंदी रहेगा।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	5.00 36.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	 36.00
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 18·9·23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर